



2026:AHC:54398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9946 वर्ष 2026

मंताशा और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, श्री प्रतीक मिश्रा, अधिवक्ता, जिन्होंने निजी प्रतिपक्षी की ओर से अपना वकालतनामा दायर किया है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है और श्री प्रभास कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिपक्षियों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के लिए भी निर्देश दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं ने एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने का फैसला किया है और उनका दावा है कि उन्हें निजी प्रतिपक्षियों से जीवन के खतरे की आशंका है। उनके द्वारा उनके संबंधित जिले की पुलिस से संपर्क किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 शादी करने या न करने और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का व्यक्तिगत विकल्प प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करता है। एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या अपने साथी के साथ रहने का अधिकार है। उन्हें विवाह से बाहर रहने का अधिकार है।

5. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं, जो एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा करते हैं, ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है जो उनकी प्रार्थना के अनुसार सुरक्षा के साथ किसी भी संबंध में प्रवेश करने की कानूनी उम्र है।

6. चूंकि पक्षों का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जाता है, इसलिए प्रस्तुत याचिका को पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं की सहमति से अंतिम रूप से निपटाया जा रहा है।

7. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2006) 5 एस.सी.सी. 475** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो वह जिसे चाहे उसके साथ रह सकता है और उसकी पसंद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लता सिंह (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक भाग को सुविधा और सुलभ संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:

"17. जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है और जितनी जल्दी इसे नष्ट किया जाए उतना अच्छा है। वास्तव में, यह ऐसे समय में राष्ट्र को विभाजित कर रहा है जब हमें राष्ट्र के सामने चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। इसलिए, अंतर-जातीय विवाह वास्तव में राष्ट्रीय हित में हैं क्योंकि वे जाति व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। हालांकि, देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि अंतरजातीय विवाह से गुजरने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं को हिंसा की धमकी दी जाती है, या वास्तव में उन पर हिंसा की जाती है। हमारी राय में, हिंसा या धमकी या उत्पीड़न के ऐसे कार्य पूरी तरह से अवैध हैं और जो लोग उन्हें करते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो वह अपनी पसंद से शादी कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं या उकसाते हैं और ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं जो इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो एक वयस्क महिला या पुरुष है, जो एक वयस्क है, तो जोड़े को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, उसे पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जाती है जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है। हम कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों की 'ऑनर किलिंग' के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, और वास्तव में वे क्रूर, सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्यों के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों को खत्म कर सकते हैं।

8. शफीन जहां बनाम अशोकन केएम और अन्य (2018) 16 एस.सी.सी. 368 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने एक वयस्क व्यक्ति की पसंद के अधिकार को उचित महत्व देने पर जोर दिया, जो संविधान एक वयस्क व्यक्ति को प्रदान करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। किसी भी धर्म, विश्वास, धर्म, जाति आदि का जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। न तो राज्य, न कानून, न ही समाज साथी की पसंद को निर्धारित कर सकता है। कानून के माध्यम से जो काफी हद



तक और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है, इसके अलावा अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।

9. यह न्यायालय यहां अलग-अलग धर्म के याचिकाकर्ताओं को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखता है, बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में देखता है जो अपनी मर्जी और पसंद से काफी समय से शांति और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। न्यायालयों और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कहा गया है। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप, दो व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार में एक गंभीर अतिक्रमण का गठन करेगा। यह न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि यदि कानून एक ही लिंग के दो व्यक्तियों को भी शांति से एक साथ रहने की अनुमति देता है, तो न तो कोई व्यक्ति और न ही परिवार और यहां तक कि राज्य को दो वयस्क व्यक्तियों के विषमलैंगिक संबंधों पर आपत्ति हो सकती है जो अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। किसी व्यक्ति का निर्णय जो वयस्कता की आयु का है, अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ रहना पूरी तरह से एक व्यक्ति का अधिकार है और जब इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा क्योंकि इसमें पसंद की स्वतंत्रता, साथी चुनने का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

10. सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस, (2018) 2 एस.सी.सी. 197 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले से निपटा जहां अपीलकर्ता और प्रतिपक्षी की बेटी, जो एक वयस्क थी, ने कुवैत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जहां वह अपने पिता के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

"9. उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुवैत वापस जाने का इरादा रखती है। ऐसी स्थिति में, हमारी सुविचारित राय है कि एक वयस्क के रूप में, वह अपनी



पसंद और स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हकदार है और न्यायालय इस पहलू में नहीं जा सकता है कि उसे पिता द्वारा मजबूर किया गया है या नहीं। कुवैत में अपने पिता के पास वापस जाने के लिए उसकी ओर से पर्याप्त कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उसके कारणों से चिंतित नहीं हैं। उसने न्यायालय के समक्ष जो कहा है, वह अकेले मायने रखता है और यही इस न्यायालय के तर्क का दिल है, जो सभी विवादों को दूर रखता है।

10. यह बताने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करने का अपना महत्व है। वह अपनी पसंद बनाने का हकदार है। अदालतें, जब तक विकल्प बनी रहती हैं, तब तक पैरेंट्स पैट्रिया की भूमिका नहीं निभा सकती हैं। बेटी अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने की हकदार है क्योंकि कानून अनुमति देता है और अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होने वाले सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हम बिना किसी आपत्ति के ऐसा कहते हैं।

11. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है।

12. शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) 7 एस.सी.सी. 192 में सर्वोच्च न्यायालय ने "ऑनर किलिंग" के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की, जिसे न्यायालय ने न केवल भयानक और बर्बर पाया, बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार और किसी व्यक्ति की गरिमा में भी हस्तक्षेप किया।

13. जाति, पंथ या धर्म से परे साथी चुनने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निहित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

14. यह न्यायालय पहले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुबंधित अंतरधार्मिक विवाह पर विचार कर चुका है और इस न्यायालय द्वारा अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कुल 17 याचिकाओं पर सुनवाई की गई और इस न्यायालय द्वारा मायरा @ वैष्णवी विलास



शिरशीकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट-सी संख्या-14806 वर्ष 2021 के मामले में 18.11.2021 को निर्णय दिया गया और यह देखा गया कि विवाह के भीतर या बाहर के साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संक्षेप में "अधिनियम, 2021), अपने आप में अंतरधार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप किसी भी कानून के तहत न तो निषिद्ध है और न ही दंडनीय है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 और अधिनियम, 2021 पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतरधार्मिक जोड़े का लिव-इन रिलेशनशिप एक अपराध है। यदि कोई अपराध किया गया होता, तो यह किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, 2021 की धारा 4 के संदर्भ में सूचित किया गया होता। याचिकाकर्ताओं के लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में आज तक कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है। दूसरे, यह न्यायालय यह पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा खुद को लिव-इन रिलेशनशिप में रखकर कोई अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर यह न्यायालय केवल याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे की जांच कर रहा है, जो याचिका में बताए गए कारणों/परिस्थितियों के लिए उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के आधार पर है। यदि याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. मुद्दा जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करने के मौलिक अधिकार से वंचित करना है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार बहुत ऊंचे पायदान पर खड़ा है। संवैधानिक योजना के तहत पवित्र होने के कारण इसे अमान्य या अमान्य विवाह के अनुष्ठापन या यहां



तक कि पक्षों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति की परवाह किए बिना संरक्षित किया जाना चाहिए।

18. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या-41127 वर्ष 2025 (नूरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में 23.02.2026 को निर्णय लिया था, जिसमें उसी विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रस्तुत मामले के तथ्य नूरी (उपरोक्त) के तथ्यों के समान हैं।

19. प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। मानव जीवन के अधिकार को नागरिक की धार्मिक आस्था की परवाह किए बिना बहुत ऊंचे पायदान पर माना जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता एक अंतरधार्मिक संबंध में रह रहे हैं, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

20. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमति दी जाती है:

(i) याचिकाकर्ता यहां अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि निजी प्रतिपक्षियों या उनके सहयोगियों द्वारा कोई नुकसान होता है। इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं के मामले और उम्र की जांच करेंगे और यदि उन्हें याचिकाकर्ताओं के आरोपों में कोई सार मिलता है, तो वे याचिकाकर्ताओं के जीवन, अंग और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार कार्य करेंगे।

(ii) यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध या किसी कपटपूर्ण तरीके से, बल, जबरदस्ती, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी के अभ्यास द्वारा अपना धर्म बदलने का प्रयास करता है तो याचिकाकर्ता रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करा सकते हैं।



(iii) नूरी (उपरोक्त) के मामले में उल्लिखित दिनांक 31.08.2019 के सरकारी आदेश में निहित निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाएगा।

(iv) यह आदेश, यदि कोई हो, पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष लंबित जांच, यदि कोई हो, के रास्ते में नहीं आएगा।

21. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

22. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की सही उम्र का फैसला नहीं किया है। यह और स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

23. इसके अलावा, यदि प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा आज से 15 दिनों के भीतर प्रतिपक्षी संख्या-2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मेरठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं से मिलने की प्रार्थना के साथ कोई आवेदन किया जाता है, तो प्रतिपक्षी संख्या-2 एक तारीख तय करके दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में बुलाएगा और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए उनके बीच एक बैठक की व्यवस्था करेगा।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा पक्षकारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन, यदि पक्षकारों ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष उसके द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की है, तो प्रतिपक्षी संख्या-2 याचिकाकर्ताओं को उनकी उपस्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और जब तक याचिकाकर्ता अपनी पसंद के स्थान पर वापस नहीं चले जाते तब तक सुरक्षा/संरक्षण लागू रहेगा।

मार्च 17, 2026

नितेंद्र

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)